झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
सप्तम् (शीतकालीन) सत्र
वर्ग–05

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 27 कार्तिक, 1938 (श0) / 18 नवम्बर, 2016 (ई0) को झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभाग को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
01–	स–01	श्री दशरथ गागराई	स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन।	स्वा0चि0शि0एवं परि0 कल्याण विभाग।	11.11.2016
02–	स–08	श्री ताला मराण्डी	समुचित व्यवस्था एवं कर्मियों का पदस्थापन।	स्वा0चि0शि0एवं प0 कल्याण विभाग	12.11.2016
03–	श्रनि–02	श्री अमित कुमार	शिक्षण सत्र प्रारंभ कराना।	श्रम नियोजन प्र0एवं कौशल वि0 विभाग	11.11.2016
04–	स–02	श्री दशरथ गागराई	नये भवन का निर्माण	स्वा0चि0शि0एवं प0 कल्याण विभाग।	11.11.2016
05–	रा–04	श्री राम कुमार पाहन	सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	11.11.2016
06–	रा–05	श्री राम कुमार पाहन	अवैधकब्जा हटाना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	11.11.2016
07–	स–05	श्री निरल पुरती	रेफरल अस्पताल के नये भवन का निर्माण।	स्वा0चि0शि0एवं प0 कल्याण विभाग	11.11.2016
08–	श्रनि–01	श्री अनंत कु0 ओझा	पढ़ाई प्रारंभ कराना।	श्रम नियोजन प्र0 एवं कौ0 वि0 विभाग	11.11.2016
09–	रा–02	श्री अरूप चटर्जी	तालाब से राजस्व प्राप्ति	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	11.11.2016

01	02	03	04	05	06
10–	स–04	श्रीमती विमला प्रधान	निजी अस्पतालो के लिए नियमावली।	स्वा0चि0शि0एवं प0 कल्याण विभाग	11.11.2016
11–	स–03	श्री मनोज कु0 यादव	स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण।	स्वा0चि0शि0एवं प0 कल्याण विभाग	11.11.2016
12–	रा–03	श्रीमती बिमला प्रधान	वैकेल्पिक व्यवस्था कराना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	11.11.2016
13–	रा–06	श्री अशोक कुमार,	भूमि अधिग्रहण करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	12.11.2016
14–	रा–01	श्री साधु चरण महतो	अवैध कब्जा से मुक्त कराना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	11.11.2016
15–	स–07	श्री अशोक कुमार	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	स्वा0चि0शि0एवं परि कल्याण विभाग	12.11.2016
16–	स–06	श्री अमित कुमार	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण।	स्वा0चि0शि0एवं परि0 कल्याण विभाग	11.11.2016

राँची
दिनांक–18 नवम्बर,2016 (ई0)

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–07/2016–3309/वि0स0,रांची,दिनांक–15/11/16

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुरेश रजक)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–07/2016–3309/वि0स0,रांची,दिनांक–15/11/16

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश रजक 15/11/16
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–07/2016–3309/वि0स0,रांची,दिनांक–15/11/16

प्रतिलिपि :– कार्यवाही शाखा,बेवसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा, प्रश्न शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश रजक 15/11/16
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

राय/

15.11.16

01

श्री दशरथ गागराई, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 18.11.2016 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 01 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि सरायकेला खरसावां जिला के खरसावां प्रखण्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हाड़ीभंजा का नया भवन बन कर तैयार है,		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त भवन में स्वास्थ्य सेवाएँ संचालित नहीं होने से संबंधित क्षेत्र के ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है,		स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हाड़ीभंजा के नये भवन में स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विभाग स्तर पर पद स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रिया में है। स्वीकृति के उपरान्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हाड़ीभंजा को संचालित करने की कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6 / पी0वि0स0 (तारा0)– 119 / 16– 1168 स्वा0, राँची, दिनांकः 17.11.16

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 3118 / वि0स0, दिनांक– 11.11.2016 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव ।

2

श्री ताला मराण्डी, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 18.11.2016 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 08 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– 1. क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के तालझारी प्रखण्ड स्थित महाराजपुर में अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण विभाग द्वारा 1 करोड़ 22 लाख की लागत से कराया जा रहा है, जो चार वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है तथा ग्रामीणों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है ;	अस्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार महाराजपुर स्थित स्वास्थ्य केन्द्र के अधूरे भवन का निर्माण कार्य कराने एवं समुचित चिकित्सा व्यवस्था के साथ–साथ चिकित्सक, कर्मियों की पदस्थापना करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	तालझारी प्रखण्ड स्थित महाराजपुर में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन एम0एस0डी0पी0 योजना के तहत निर्माण कार्य कराया गया है। भवन हस्तगत है। वर्तमान में उक्त अस्पताल में डा0 रंजन कुमार, चि0 पदा0 के द्वारा सप्ताह में दो दिन बुधवार एवं शुक्रवार को रोस्टर के अनुसार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। अस्पताल में श्रीमती किशोरी सिन्हा एवं श्रीमती संगीता कुमारी, ए0 एन0 एम0 के द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6 / पी0वि0स0 (ता0रा0)– 120 / 16– 1178 स्वा0, राँची, दिनांकः 17.11.16

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 3126 / वि0स0, दिनांक– 12.11.2016 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/11

सरकार के उप सचिव ।

(3)

1625
17.11.16

श्री अमित कुमार, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक–18.11.2016 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–श्र0नि0–02 की उत्तर सामग्री।

क0	प्रश्नकर्त्ता श्री अमित कुमार, माननीय सदस्य विधानसभा	उत्तरदाता श्री राज पलिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि रॉची जिलान्तर्गत सिल्ली प्रखंड में आई0टी0आई0 प्रशिक्षण हेतु भवन विगत कई वर्षो से निर्माणाधीन है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि सोनाहातु प्रखंड में आई0टी0आई0 भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है परन्तु यहॉ शिक्षण कार्य अभी तक आरंभ नहीं किया गया है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खंड–1 में वर्णित भवन का निर्माण कार्य खंड–2 में वर्णित भवन में शिक्षण सत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष में करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिल्ली के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति की राशि उपायुक्त, रॉची को पूर्वमें ही उपलब्ध करायी जा चुकी है। भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होते ही प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया जायेगा। औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, सोनाहातु के संचालन हेतु JSW को MOA करने के लिए पत्र दिया गया था परन्तु उनके द्वारा इस संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अतः उपर्युक्त संस्थान को सरकार वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् संचालित करने पर विचार कर रही है।

17.11.16
सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

ज्ञापांक :– 5/प्रशि0(वि0स0)–41/2016– 1625 रॉची, दिनांक :– 17.11.16

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखंड विधानसभा को उनके पत्रांक–3120/वि0स0 दिनांक–11.11.2016 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17.11.16
सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

(4)

श्री दशरथ गागराई, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 18.11.2016 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 02 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावां जिला के खरसावां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जर्जर/जीर्ण अवस्था में है,	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त भवन के स्थान पर नये भवन की आवश्यकता है,	स्वीकारात्मक ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खरसावाँ के लिए नये भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में खरसावाँ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रस्तावित है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में ही प्रश्नाधीन योजना के भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (तारा0)– 123/16– 1164 स्वा0, राँची, दिनांकः 17.11.16

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 3113/वि0स0, दिनांक– 11.11.2016 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/11

सरकार के उप सचिव ।

05

श्री रामकुमार पाहन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.11.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–04 का प्रश्नोत्तर सामग्री।

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td></td><td>श्री रामकुमार पाहन, माननीय स0वि0स0</td><td>माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत औरमांझी प्रखण्ड के चकला गाँव स्थित सिंधानिया कंपनी द्वारा गैरमजरूआ एवं वन विभाग की पंद्रह (15) एकड़ जमीन को अवैध तरिके से कब्जा कर चाहरदिवारी कर दिया है जिससे आस पास रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है ;</td><td>ओरमांझी अंचल के मौजा–चकला अन्तर्गत सिंधानिया कंपनी द्वारा निर्मित संरचना खाता सं0–154, प्लॉट सं0–10 एवं 11 में अवस्थित है। अंचल कार्यालय में संधारित पंजी–II के अनुसार विभिन्न दाखिल–खारिज वादों के तहत् खाता सं0–154, प्लॉट सं0–10 एवं 11 के अन्तर्गत कुल रकबा–8.36 ए0 भूमि श्री विमल सिंधानिया के नाम से जमाबंदी कायम है। जिसका विवरणी निम्नप्रकार है :–
<table>
<tr><th>वाद सं0</th><th>खाता सं0</th><th>प्लॉट सं0</th><th>रकबा</th></tr>
<tr><td>31 आर 27/1997–98</td><td>154</td><td>10
11</td><td>0.80 ए0
0.48 ए0</td></tr>
<tr><td>29 आर 27/1997–98</td><td>154</td><td>11</td><td>0.50 ए0</td></tr>
<tr><td>30 आर 27/1997–98</td><td>154</td><td>10
11</td><td>1.70 ए0
1.30 ए0</td></tr>
<tr><td>32आर 27/1997–98</td><td>154</td><td>10
11</td><td>0.50 ए0
2.50 ए0</td></tr>
<tr><td>71आर0 27/1997–98</td><td>154</td><td>10</td><td>0.52 ए0</td></tr>
<tr><td>210आर27/2000–01</td><td>154</td><td>10</td><td>0.06 ए0</td></tr>
<tr><td colspan="3">कूल</td><td>8.36 ए0</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त कंपनी द्वारा की गई सरकारी जमीन पर से अवैध कब्जा हटाने एवं सिंधानिया कंपनी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>श्री विमल सिंधानिया के नाम से कायम जमाबंदी को प्रथम दृष्टया संदेहास्पद मानते हुए संदिग्ध जमाबंदी वाद संधारित करते हुए राजस्व विभागीय पत्रांक–2074/रा0, दि0–13.05.16 के आलोक में कार्रवाई की जा रही है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–4/स0भू0 (वि0स0) तारां0– 196/2016 5952(4)/रा0 राँची, दिनांक– 17-11-16

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3102/वि0स0, दिनांक–11.11.2016 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–10 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/11/16
सरकार के संयुक्त सचिव

MOMENTUM JHARKHAND

E:\sec3\bidhan sabha\prasnuttar nov, 2016.docx

06

श्री राम कुमार पाहन, स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.11.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–05 का प्रश्नोत्तर

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री रामकुमार पाहन, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सूधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत नामकोम प्रखण्ड स्थित हंस राज बधवा हाई स्कूल की जमीन लगभग 5.20 एकड़ है जिसमें से कुल जमीन का 35 प्रतिशत जमीन स्थानीय जमीन दलालों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है।	उपायुक्त, राँची के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि राँची जिलान्तर्गत नामकुम प्रखण्ड स्थित हंस राज बंधवा हाई स्कूल के समीप 5.20 एकड़ (मौजा–नामकुम थाना नं०–214, खाता नं०–102 प्लॉट नं०–137) भूमि गैरमजरूआ मालिक है। इसमें से लगभग 40 डी० भूमि पर कुल 22 व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमण कर एसबेस्टस का मकान बनाया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय की जमीन का अवैध कब्जा होने के कारण विद्यार्थियों को खेलने के लिए उपयुक्त मैदान से वंचित होना पड़ रहा है,	कुल 5.20 एकड़ भूमि में से लगभग 40 डी० भूमि ही अतिक्रमित है। शेष भूमि अतिक्रमण मुक्त है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विद्यालय के जमीन से अवैध कब्जा हटाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अतिक्रमण वाद संधारित कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:–06/वि0स0 (तारां) 226/2016 5958/रा० राँची/दिनांक–17-11-16

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–3106 वि0स0, दिनांक–11.11.2016 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/11/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

7

श्री निरल पुरती, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 18.11.2016 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0– 05 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–		
1. क्या यह बात सही है कि प0 सिंहभूम जिलान्तर्गत मझगाँव प्रखण्ड में तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा वर्ष 1987 में मझगाँव रेफरल अस्पताल भवन का निर्माण किया गया था ,		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त रेफरल अस्पताल भवन काफी जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है एवं जीर्णोद्धार के लायक भी नहीं है ,		स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि भवन की आधारभूत संरचना अति जीर्ण–शीर्ण अवस्था में रहने के कारण आम जनताओं को उचित स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ,		आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि उक्त केन्द्र में तीन चिकित्सा पदाधिकारी, एक आयुष चिकित्सक, एक स्टाफ नर्स, छः ए0एन0एम0 एवं दो प्रयोगशाला प्राविधिक कार्यरत हैं। केन्द्र में सभी आवश्यक दवा उपलब्ध है। ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएँ समय पर उपलब्ध कराई जाती है एवं गर्भवती महिलाओं को प्रसव की सुविधा उपलब्ध है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में उक्त रेफरल अस्पताल के लिए नये भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		उक्त स्थान पर अगले वित्तीय वर्ष में अस्पताल के भवन निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (तारा0)– 122/16– 1173 स्वा0, राँची, दिनांकः 17.11.16

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 3110/वि0स0, दिनांक– 11.11.2016 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/11

सरकार के उप सचिव ।

8 16.2 / 17.11.16

श्री अनंत कुमार ओझा, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक–18.11.2016 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–श्र0नि0–01 की उत्तर सामग्री।

क0	प्रश्नकर्त्ता श्री अनंत कुमार ओझा, माननीय सदस्य विधानसभा	उत्तरदाता श्री राज पलिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के प्रखंड क्रमशः साहेबगंज राजमहल एवं उधवा में आई0टी0आई0 प्रशिक्षण केन्द्र का भवन वर्षो से बनकर तैयार है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित प्रशिक्षण केन्द्र में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को पदस्थापन नहीं होने के कारण आई0टी0आई0 की पढाई प्रारंभ नहीं की जा सकी है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खंड–1 में वर्णित प्रशिक्षण केन्द्र में अविलंब शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का पदस्थापन कराते हुए पढाई प्रारंभ करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	महिला औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, साहेबगंज एवं औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजमहल को पी0पी0पी0 के अन्तर्गत संचालित करने हेतु चयनित प्रतिष्ठान को हस्तगत करा दिया गया है एवं साहेबगंज जिला के उधवा प्रखंड में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग का कोई भवन निर्माणाधीन नहीं है। साहेबगंज जिला में महिला आई0टी0आई0, साहेबगंज एवं आई0टी0आई0, राजमहल को पी0पी0पी0 के अन्तर्गत संचालित करने के संबंध में प्रतिष्ठान का चयन किया गया है एवं पी0पी0पी0 योजनान्तर्गत चयनित प्रतिष्ठान द्वारा ही मशीन उपकरण, उपस्कर एवं शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की व्यवस्था कर संस्थान को संचालित करने का उत्तरदायित्व है। चालु वर्ष में पी0पी0पी0 योजनान्तर्गत महिला औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, साहेबगंज एवं औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजमहल में प्रशिक्षण प्रारंभ करने की कार्रवाई चल रही है।

17.11.16
सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

ज्ञापांक :– 5/प्रशि0(वि0स0)–40/2016– 1624 रॉची, दिनांक :– 17/11/2016

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखंड विधानसभा को उनके पत्रांक–3119/वि0स0 दिनांक–11.11.2016 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17.11.16
सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

(9)

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.11.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– रा0–02 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री अरूप चटर्जी, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह सही है कि धनबाद जिला के निरसा प्रखण्ड के मौजा 149 पाथरकुआँ, खाता सं0–147, प्लॉट सं0–2514 एवं 2515, रकबा–4 एकड़ 15 डिसमिल भूमि पर एक तालाब है;		स्वीकारात्मक। धनबाद जिला के निरसा प्रखण्ड के मौजा–पाथरकुआँ, मौजा सं0–149, खाता सं0–147, प्लॉट सं0–2514 एवं 2515, रकवा–4.15 एकड़ प्रश्नगत भूमि गैर आबाद खाते की भूमि है एवं किस्म बांध आईल दर्ज है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त तालाब में मतस्य पालन का कार्य प्रारंभ करने से सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो सकती है;		स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त तालाब में राजस्व प्राप्ति हेतु इसे मतस्य एवं पशुपालन विभाग के स्थानान्तरित कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		अन्तर्विभागीय निःशुल्क भू–हस्तांतरण से संबंधित सभी मामलों के निस्तार की शक्ति उपायुक्त को विभागीय संकल्प सं0–5504/रा0, दिनांक–07.10.16 द्वारा प्रत्यायोजित है। मत्स्य एवं पशुपालन विभाग से अधियाचना प्राप्त कर उपायुक्त द्वारा विधिवत् हस्तांतरण की कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–5/स0भू0 धनबाद (वि0स0 तारां0) –213/16 5946 (5)/रा0 दिनांक–17-11-16

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–3104/वि0स0, दिनांक–11.11.16 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/11/16

सरकार के संयुक्त सचिव

E:\sec3\bidhan sabha\prasnuttar nov, 2016.docx

10

श्रीमती विमला प्रधान, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.11.16 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–04 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती विमला प्रधान, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	**श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय मंत्री, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के निजी अस्पतालों द्वारा सिर्फ व्यवसायिक दृष्टिकोंण से संचालित किया जा रहें ;	निजी अस्पताल व्यवसायिक दृष्टिकोण से चलाये जाने संबंधी कोई शिकायतवाद इस विभाग को प्राप्त नहीं है।
2. क्या यह बात सही है कि गत 18 अक्टूबर, 2016 को राँची शहर स्थित सेटेविटा अस्पताल में एक गर्भवती महिला को अल्ट्रासाउन्ड में 24 घण्टे एवं सिजोरियन के बाद सीटी स्कैन में ब्रेनहेमरेज आया तो 24 घण्टे तक में कोई न्यूरो सर्जन को नहीं बुलाया गया जिसके कारण महिला का देहान्त दिल्ली स्थित अस्पताल में हो गया ;	सेंटेविटा अस्पताल से सम्बधित रोगी के चिकित्सा अभिलेखों द्वारा देर से अल्ट्रासोनोग्राफी कराने एवं देर से न्यूरो सर्जन को बुलाने की बात सत्य प्रतीत नहीं होती है। इस संबंध में लोअर बाजार थाना में केश नं0–16/300 दर्ज कर जाँच की जा रही है।
3. क्या यह बात सही है कि लगभग सभी निजी अस्पतालों में इस तरह की घटना आये दिन घट रही है और सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है ;	अस्वीकारात्मक।
यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निजी अस्पतालों के लिए कोई नियमावली बनाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः–15/ वि0स0–07–23/2016 289 स्वा0/राँची/दिनांकः– 17–11–16

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0– 3115 दिनांक 11.11.16 के क्रम सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/11/16

सरकार के उप सचिव।

1/

श्री मनोज कुमार यादव, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 18.11.2016 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 03 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
1. क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिलान्तर्गत चन्दवारा प्रखण्ड मुख्यालय में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है ;		अस्वीकारात्मक। कोडरमा जिलान्तर्गत चन्दवारा प्रखण्ड मुख्यालय में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र का अपना भवन नहीं है जिससे स्वास्थ्य किर्मयों को कार्य करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ?		अस्वीकारात्मक। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का अपना भवन है ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार चन्दवारा प्रखण्ड मुख्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कराने का विचार करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		कोडरमा जिला के चन्दवारा प्रखण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2008–09 में रू0 3,53,59,200/– तीन करोड़ तिरेपन लाख उन्सठ हजार दो सौ) रूपए मात्र की लागत पर निर्गत की गई थी परन्तु भूमि उपलब्ध नही होने के स्थिति में निर्माण कार्य प्रारंभ नही हो सका है। उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक– 1961 दिनांक 25.10.16 द्वारा 1.83 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि उपलब्ध करा दिया गया है। उक्त योजना के निर्माण हेतु वर्तमान अनुसूचित दर पर स्वीकृति की कार्रवाई प्रकिया में है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 124/16– 1167 स्वा0, राँची, दिनांक: 17.11.16

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 3114/वि0स0, दिनांक– 11.11.2016 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/11

सरकार के उप सचिव ।

14

श्री साधु चरण महतो, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–18.11.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–01 का प्रश्नोत्तर :–

	प्रश्न		उत्तर
	श्री साधु चरण महतो, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिला अन्तर्गत कपाली नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित सभी सरकारी जमीन पर भू माफियों को अवैध कब्जा है;		आंशिक स्वीकारात्मक। विगत दो वर्षों में कपाली नगर पंचायत क्षेत्र में अब तक कुल–3 मामले अतिक्रमण वाद सं. क्रमशः 01/14–15, 06/15–16 एवं 07/15–16 कुल रकबा–1.54 एकड़ के विरूद्ध अतिक्रमण वाद खोलते हुए कार्रवाई की गयी है जिसमें से वाद सं.–06/15–16 को निष्पादित कर दिया गया है। साथ ही क्षेत्र भ्रमण के दौरान पाये जाने वाले अतिक्रमणों के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए इन अतिक्रमणों को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया गया है, जिसमें कुल–6 मामलों में कुल रकबा–0.14 एकड़ सन्निहित है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित स्थल में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा होने के कारण सरकार के विकासकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में काफी परेशानी होने के साथ–साथ अवैध कब्जा को लेकर स्थानीय लोगों एवं भू–माफियों के बीच अक्सर लड़ाई–झगड़ा भी होते रहते है जिससे विधि व्यवस्था बनायें रखने में काफी परेशानी होती है;		अस्वीकारात्मक। अवैध कब्जा संबंधी लड़ाई–झगड़ा का कोई मामला अभी तक प्रकाश में नहीं आया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्ड़ों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–1 वर्णित स्थल को अवैध मुक्त करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		इस तरह का मामला संज्ञान में आने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–4/स.भू.(वि.स.)तारां.–195/2016...5956...(4)/रा., राँची, दिनांक–17-11-16

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–3103/वि.स., दिनांक–11.11.2016 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/11/16

सरकार के संयुक्त सचिव

Computer/D/All folder/Vidhan Sabha-16/Manoj

15

श्री अशोक कुमार, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.11.16 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0–07 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अशोक कुमार, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	**श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय मंत्री, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1. क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रखण्ड एवं अनुमण्डल स्तरीय अस्पतालों का संचालन अस्पताल प्रबंधन समिति के द्वारा संचालित किया जाता है, इसके लिए प्रत्येक माह प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित करना आवश्यक है ;	आंशिक स्वीकरात्मक। अस्पताल प्रबंधन समिति की Governing Body की बैठक साल में दो बार होनी है तथा Executive Committee की बैठक प्रत्येक दो माह पर होना है।
2. क्या यह बात सही है कि सिविल सर्जन एवं चिकित्सा प्रभारी के मानमानी के कारण गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा, मेहरमा एवं ठाकुरगंगटी प्रखण्ड के अस्पतालों में पिछले दो वर्षो से प्रबंधन समिति की एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई है ;	आंशिक स्वीकरात्मक। अस्पताल प्रबंधन समिति (RKS) के बैठक करने की जवाबदेही संबंधित संस्थान के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी समिति के सदस्य सचिव की होती है। महागामा तथा ठाकुरगंगटी में पिछले दो वर्षो से प्रबंधन समिति की बैठक नहीं हुई है, जबकि सिविल सर्जन के पत्रांक 321 दिनांक 19.05.2016 के द्वारा सभी संस्थानों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया है । मेहरमा में पिछले दो वर्षो मे बैठक की गयी है। हाल ही में अंतिम बैठक दिनांक 09.11.2016 को की गई है।
3. क्या यह बात सही है कि उपायुक्त, गोड्डा द्वारा सिविल सर्जन गोड्डा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह रेफरल अस्पताल महगामा में प्रबंधन समिति की बैठक कराने हेतु बार–बार निर्देश दिये जाने के बावजूद भी बैठक नहीं कराया गया, जिसके कारण अस्तपाल की व्यवस्था अव्यवस्थित है ;	अस्वीकरात्मक। उपायुक्त, गोड्डा के द्वारा सिविल सर्जन, गोड्डा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–सह–रेफरल अस्पताल, महागामा में प्रबंधन समिति के बैठक कराने हेतु कोई निर्देश नहीं दिया गया है। सिविल सर्जन द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को बार–बार बैठक करने का निदेश दिया गया है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उन दोषी पदाधिकारियों पर कौन सी कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर की कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः–15 / वि0स0–07–29 / 2016 291 स्वा0 / राँची / दिनांकः– 17–11–16

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0– 3125 दिनांक 12.11.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/11/16

सरकार के उप सचिव।

16

श्री अमित कुमार, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 18.11.2016 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स– 06 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– 1. क्या यह बात सही है कि सिल्ली विधान–सभा के हाकेदाग एवं इडीसेरंग तथा अन्य पंचायत में निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उद्घाटन एवं कर्मियों का पदस्थापन नहीं की गई है;		आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुतः हाकेदाग में कोई भवन निर्माणाधीन नहीं है। इडीसेरेंग में स्वास्थ्य उप केन्द्र निर्मित एवं हस्तान्तरित है तथा संचालित है। उक्त स्वास्थ्य उप केन्द्र में एक ए0एन0एम0 श्रीमती पुष्पा महतो, पदस्थापित है। समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, का निर्माण प्रखण्ड स्तर पर आई0पी0एच0एस0 मानक के आलोक में किया जाता है। उप स्वास्थ्य केन्द्र बन्ता उपायुक्त द्वारा चयनित कार्य एजेन्सी कार्यपालक अभियंता एन0आर0ई0पी0– 2 राँची द्वारा कराया जा रहा था। परन्तु संवेदक कार्य बन्द कर दिया है। इनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त निर्मित भवन रख रखाव के अभाव में जर्जर होने के कगार पर है;		अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त निर्मित भवनों का उद्घाटन कर्मियों की पदस्थापिन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		वस्तुस्थिति यह है कि समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, का निर्माण प्रखण्ड स्तर पर आई0पी0एच0एस0 मानक के आलोक में किया जाता है। प्रश्नाधीन योजना का निर्माण पंचायत स्तर पर संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6 / पी0वि0स0 (तारा0)– 121 / 16– 1170 स्वा0, राँची, दिनांकः 17.11.16

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 3116 / वि0स0, दिनांक– 11.11.2016 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/11

सरकार के उप सचिव ।